दैनिक जागरण
पटना, 17 सितंबर 2018 | 3

पुराने फ्लैटों पर रेरा के नियमों में ढील

मई 2017 के पहले बने फ्लैटों को राहत

चंद्रशेखर • पटना

रेरा ने आम नागरिकों की परेशानियों को देखते हुए नियमों में थोड़ी ढील दी है। अब एक मई 2017 के पहले तक निर्मित अपार्टमेंट के फ्लैट के रजिस्ट्रेशन के लिए रेरा का निबंधन अनिवार्य नहीं होगा। परंतु इसके लिए जरूरी है कि संबंधित बिल्डर की ओर से निबंधन कार्यालय में पहली मई 2017 के पहले भवन निर्माण पूर्ण होने का प्रमाणपत्र दे दिया गया हो।

निबंधन विभाग की सभी चिंताओं को किया दूर : रेरा के नियम को सही तरीके से परिभाषित नहीं होने से निबंधन कार्य पर प्रतिकूल असर पड़ने लगा है। निबंधन विभाग की ओर से नौ बिन्दुओं पर परेशानी बताई जा रही थी। रेरा की ओर से सभी नौ बिंदुओं पर अपना स्पष्ट मंतव्य दे दिया है। रेरा ने स्पष्ट कर दिया है कि अब 1 मई 2017 के पहले पूरा किए गए फ्लैट के निबंधन के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है।

बिना निबंधन कराए नहीं बेच सकेंगे लैंड ओनर : किसी भी बिल्डर के शेयर वाले फ्लैट को लैंड ओनर की ओर से बगैर रेरा में निबंधन के नहीं बेचा जा सकता है। रेरा लागू होने की तिथि अर्थात 30 अगस्त 2018 के पहले से

• कंपनी अथवा संस्था की जमीन को बेचने के पहले अनिवार्य है रेरा का निबंधन

जमा दस्तावेज के निबंधन के लिए भी रेरा का निबंधन अनिवार्य है। इतना ही नहीं बिल्डर या लैंड ओनर किसी भी बैंक के पक्ष में तबतक इसे मोर्गेज नहीं कर सकते हैं, जब तक रेरा में निबंधन न करा लिया गया हो।

8 फ्लैट तक के अपार्टमेंट को निबंधन से छूट : 500 वर्गमीटर एवं 8 फ्लैट तक के अपार्टमेंट के निबंधन में रेरा का निबंधन अनिवार्य नहीं है। विदित हो कि निबंधन कार्यालय की ओर से रेरा से नौ बिन्दुओं पर मार्गदर्शन मांगा गया था। इसके बाद रेरा की ओर सारे बिन्दुओं को स्पष्ट करते हुए विशेष निर्देश दिया गया है।